केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/115
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00106

दिनांक: 08.05.2018

अपीलकर्ता : श्री मानव,
पोस्ट बॉक्स नं. 1, विवेकानंद कालोनी,
पुलिस लाइन, गया,
बिहार – 823001.

निर्णय की तारीख : 08.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	-----
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	-----
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.04.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	181/02.05.2018 (127173/27.04.2018)

1. अपीलकर्ता ने दिनांक 13.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में दाखिल अपने द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई से संबंधित सूचनाएं मांगी थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न आर.टी.आई. आवेदन की जांच करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 13.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन को डाक अनुभाग/सेन्ट्रल रजिस्ट्री द्वारा भूलवश लिंक डाक मानकर किसी अन्य रजिस्ट्री को अग्रसारित कर दिया गया, जबकि इसे आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया जाना चाहिए था । अतः इस आदेश के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन को यथाशीघ्र पंजीकृत कर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि : आर.टी.आई. आवेदन की प्रति सहित ।

O/C

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली - आर.टी.आई. आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही की जाए ।

09/05/18

09 MAY 2018
Priyanka